भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 494
दिनांक 06.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

हरियाणा को जल जीवन मिशन के अंतर्गत तकनीकी एवं वित्तीय सहायता

494. श्री सतपाल ब्रह्मचारीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सरकार द्वारा हरियाणा में, विशेष रूप से सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान प्रदान की गई तकनीकी तथा वित्तीय सहायता का जिलावार ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा जेजेएम के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(ग) क्या सरकार ने उक्त परियोजनाओं में देरी के कारणों का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख) भारत सरकार अगस्त, 2019 से राज्यों की भागीदारी में देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील नल जल कनेक्शन अर्थात् 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के सेवा स्तर पर, निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस:10500) के माध्यम से नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य पानी का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल को क्रियान्वित कर रही है।

जैसा कि हरियाणा राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, दिनांक 03.02.2025 की स्थिति के अनुसार, हरियाणा के सभी 30.41 लाख (100%) ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए है, जिनमें से लगभग 12.75 लाख कनेक्शन जल जीवन मिशन के तहत प्रदान किए गए हैं। इसी तरह, हरियाणा के सोनीपत जिले में, सभी 2.05 लाख ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिनमें से लगभग 86 हजार नल कनेक्शन जेजेएम के तहत प्रदान किए गए हैं।

हरियाणा सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजना और कार्यान्वयन में तेजी लाने तथा निगरानी करने और उनके पथप्रदर्शन के लिए भारत सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से वार्षिक कार्य योजना (एएपी) पर चर्चा करना और उसे अंतिम रूप देना, योजना और कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा करना, क्षमता निर्माण और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक दल द्वारा क्षेत्रीय दौरे आदि शामिल हैं। पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी लाने के लिए, एक ऑनलाइन 'जेजेएम डैशबोर्ड' बनाया गया है, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिला और गांव-वार प्रगति के साथ-साथ ग्रामीण घरों में नल जल आपूर्ति के प्रावधान की स्थिति प्रदर्शित करता है।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए हरियाणा द्वारा वर्ष-वार आबंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है।

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	वर्ष	केंद्रीय अंश					राज्य व्यय
		अथ शेष	आबंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	व्यय	
1	2019-20	10.13	149.95	149.95	160.08	69.29	73.8
2	2020-21	90.8	289.52	72.38	163.18	130.67	120.09
3	2021-22	32.51	1,119.95	559.98	592.49	433.78	430.31
4	2022-23	158.71	1,157.44	463.00	621.71	519.77	447.46
5	2023-24	101.93	1,053.44	526.72	628.65	589.79	687.56
6	2024-25*	38.86	462.03	0.00	38.86	18.46	188.71
कुल			**4,232.33**	**1,772.03**		**1,761.76**	**1,947.93**

*दिनांक 03.02.2025 की स्थिति के अनुसार

चूंकि पेयजल राज्य का विषय है, इसलिए जिला-स्तरीय निधि आबंटन सहित ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए अलग-अलग परियोजनाओं/स्कीमों के ब्यौरे भारत सरकार के स्तर पर अनुरक्षित नहीं किए जाते हैं।

(ग) हरियाणा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मुकदमेबाजी और निधियों की कमी के कारण पाइपों की खरीद के लिए निविदा को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण परियोजनाओं में विलंब हुआ है।

(घ) हरियाणा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, लंबित परियोजनाओं को निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन 31 मार्च, 2026 तक पूरा करने की योजना है।

*****